न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
जमानत आवेदन सं0 – 206/2026
भपटियाही थाना कांड सं0– 46/2026

	1. बिरेन्द्र कुमार पे0 उमेश रजक **2. अमरेश कुमार पे0 ब्रहमदेव साह** **सभी सा0– पिपराखुर्द वार्ड नं0 1, थाना–भपटियाही, जिला–सुपौल...आवेदक** **बनाम्** **बिहार सरकार...विपक्षी**	
17/04/26	काराधीन अभियुक्त बिरेन्द्र कुमार एवं अमरेश कुमार की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है।प्रार्थी अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है। प्रार्थी अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि प्रस्तुत वाद में तलाशी के कम में प्रार्थीगण के पास से सिर्फ ओपो कम्पनी का मोबाईल बरामद किया गया है, जो कि प्रार्थीगण का खुद का मोबाईल है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि प्रार्थीगण सड़क के किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहा थे इसी बीच पुलिस द्वारा प्रार्थीगण को भी तलाशी लेने हेतु गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 17/02/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है, अतः उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाय। प्रस्तुत वाद, सूचक शौर्य दिगांसु, पु0अ0नि0 के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 312 BNS 25(1-b)a/26/35 Arms Act में दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक 16/02/2026 को समय करीब 21.00 बजे उसे थानाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 3–4 यूवकों के द्वारा लूट की योजना बनाकर ग्राम सरायगढ़, वार्ड नं0 12 स्थित पक्की सड़क पर आने–जाने वाले राहगीर को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु सूचक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसमें छापामारी दल के साथ समय लगभग 12.15 बजे ग्राम सरायगढ़, वार्ड नं0 12 स्थित भुवनेश्वर यादव के घर के सामने पक्की सड़क पर पहूँचा तो देखा कि सड़क किनारे एक मोटरसाईकिल के पास 04 युवक खड़े है एवं अचानक पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे जिनमें से 3 युवकों को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ कर अभिरक्षा में लिया गया। पकड़ाये तीनों युवकों से नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना–अपना नाम दिलखुश कुमार, विरेन्द्र कुमार, अमरेश कुमार बताया। पुलिस कार्रवाई को देखकर आसपास के राहगीर जमा हो गये उनमें से दो लोगों को तलाशी सह जप्ती का साक्षी बनने के अनुरोध किया गया परन्तु डर से कोई साक्षी बनने को तैयार नहीं हुआ। तत्पश्चात् साथ आये प्र0पु0अ0नि0 रंजीत कुमार एवं सिपाही मो0 मीरहमजा को तलाशी सह जप्ती का साक्षी बनाते हुए अपना एवं अपने साथ के अन्य बल की जामातलाशी देते हुए अभिरक्षा में लिये हुए युवक दिलखुश कुमार का बदन का तलाशी लिया तो तलाशी के कम में दिलखुश कुमार के बांयु तरह कमर से एक लोहे का बना देशी कट्टा बरामद हुआ। बिरेन्द्र कुमार की तलाशी लिया तो बिरेन्द्र कुमार के पहने हुए जिंस के दांये पॉकेट से ओपो कंपनी का रेना–13 मोबाईल जिसमें जीओ एवं एयरटेल कंपनी का सीम लगा हुआ बरामद हुआ। अमरेश कुमार का तलाशी लिया तो पहने हुए काले रंग के जींस के दाहिने पॉकेट से ओपो कंपनी का मोबाईल बरामद हुआ जिसमें जीओ कंपनी का सीम लगा हुआ था एवं सड़क के किनारे खड़े काले रंग की हिरो ग्लैमर जिसका रजि0 नंबर BR50Z4901 बरामद हुआ। अभिरक्षा में लिये हुए तीनों युवकों से बरामद देशी कट्टा एवं मोटरसाईकिल का कागजात मांगने पर कोई संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। भागे हुए व्यक्ति के संबंध में पूछताछ किया तो भागे हुए व्यक्ति का नाम प्रभु कुमार बताया। तत्पश्चात् बरामद देशी कट्टा मोटरसाईकिल, मोबाईल एवं अभिरक्षा में लिये हुए युवकों के समक्ष जप्ती सूची तैयार कर विधिवत जप्त कर लिया गया जिसपर	

17/04/26 **लगातार**	दोनो साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर बनाया तथा जप्ती सूची की एक–एक प्रति जप्ती सूची अभिरक्षा में लिये अभियुक्तों को हस्तगत कराया गया। सुना एवं प्राथमिकी व काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। वादी ने अपने पुनः बयान कंडिका 3 में एवं जप्ती सूची के साक्षियों ने अपने–अपने बयानों क्रमशः कंडिका 4, 5 एवं 6 में प्राथमिकी व घटना का समर्थन किया है परंतु प्रार्थी अभियुक्तों के पास से कोई आपत्जिनक सामान/आग्नेयास्त्र बरामद होने की बात का कथन नहीं किया है, प्रार्थी अभियुक्तों के पास से सिर्फ मोबाईल बरामद होने की बात बतायी गयी है जो मोबाईल प्रार्थी अभियुक्त का खुद का था। कंडिका 2 जप्ती सूची से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्तों के पास से सिर्फ मोबाईल बरामद की गयी है तथा किसी भी तरह का कोई आग्नेयास्त्र बरामद होने की बात नहीं बतायी गयी है। आग्नेयास्त्र बरामद होने की बात सह अभियुक्त दिलखुश कुमार पर है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी स्थानीय साक्षी के समक्ष जप्ती सूची तैयार नहीं की गयी है जो भी साक्षियों के समक्ष जप्ती सूची तैयार की गयी है वो पुलिस बल के सदस्य थे। कांड दैनिकी के कंडिका 49 में प्रार्थी अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का वर्णन है जिसमें प्रार्थी अभियुक्त अमरेश कुमार के विरुद्ध भपटियाही थाना कांड सं0 60/22 बताया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्त बिरेन्द्र कुमार का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण दिनांक 17/02/2026 से दो महिने से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा कारा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण बिरेन्द्र कुमार एवं अमरेश कुमार की ओर से दाखिल **जमानत आवेदन स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार उक्त प्रार्थी अभियुक्तगण को निम्न न्यायालय के संतुष्टिकारक मो0 10,000/– रूपये के समान राशि के दो–दो जमानतदारों के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः– 1. प्रार्थी अभियुक्तगण का एक जमानतदार उसके माता/पिता/नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय प्रार्थी अभियुक्त बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगा। 3. प्रार्थी अभियुक्तगण वाद के विचारण में सहयोग करेगा। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	**लगातार**